03/06/2025	पत्रावली पेश। पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थीगण 01 से 03 द्वारा जवाब पेश, जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण 15 से 17 को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया है अतः अप्रार्थीगण 15 से 17 का जवाब बन्द किया जाता है। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। प्रार्थी वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम लाडपुरी में प्रार्थी की पैतृक एवं कब्जाशुदा की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 61 के खसरा संख्या 50,51,52 कुल रकबा 3.15 हेक्टर की आयी हुई है जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता किशनलाल पुत्र जग्गा कौम माली के नाम से दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी वक्त प्रथम सेटलमेन्ट में प्रार्थी के दादा जग्गा वल्द वेदा जाति माली निवासी लाडपुरी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। तथा जग्गा के फौत होने पर उक्त आराजी प्रार्थी के पिता किशनलाल तथा उनके भाईयों [illegible] राम, [illegible]राम, जानकी[illegible], प्रार्थी की दादी [illegible] जग्गा के [illegible] राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

रेकर्ड में दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त राजस्व रेकर्ड से प्रार्थी की आराजी पुश्तैनी होना साबित है तथा उक्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अनुसार प्रार्थी का जन्म से ही ~~कर~~ हक निहित है तथा प्रार्थी किशनलाल का हिन्दू प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है। हिन्दू विधि अनुसार प्रार्थी के पिता के जीवनकाल में भी उक्त भूमि में प्रार्थी का हक निहित है तथा किशनलाल के हिस्से में दर्ज 1/6 की भूमि में 1/4 हिस्सा जन्म से ही बनता है। कुछ रोज पूर्व प्रार्थी उनके हिस्से की भूमि में ट्रैक्टर से खेती का कार्य कर रहा था तभी प्रार्थी के पिता अप्रार्थी 02 किशनलाल ने प्रार्थी से काश्त करने से रोका तथा प्रार्थी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने तथा किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने की धमकियां दे रहा है। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने जवाब पेश कर तथ्यों को दोहराते हुए जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी [illegible] ने प्रार्थी को कभी [illegible] करने की धमकियां नहीं दी है तथा न ही किसी अजनबी व्यक्ति को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भूमि नीलाम करने की जानकारी दी गई। जबकि इसके द्वारा प्रार्थी विरुद्ध उत्तराधिकार अधिनियम का सहारा लेकर उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाकर उक्त भूमि को नीलाम करना चाहता है। मौजा लाडरी में स्थित बाइस्मत खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 50, 51, 52 रकबा 3.15 है0 में प्रार्थी 01 को 1/6 हिस्से का रजिस्टर्ड खातेदार था जिसके विरुद्ध प्रार्थी किसी प्रकार की कार्यवाही विचाराधीन पाने का इकरार नहीं होने से प्रार्थना-पत्र बाबत कार्यवाही विचाराधीन मय [illegible] स्थगित करावें।
	मैंने प्रार्थनापत्र की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम लाडरी पटवार हल्का [illegible] के प्रधान किसान तथा [illegible] रिकॉर्ड अनुसार [illegible] आराजी प्रार्थी की [illegible] प्रतीत हो रही है। अत: मामला प्रथम दृष्टया तथा सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थना पर प्रार्थी का स्वीकार योग्य है।
	अत: प्रार्थना पर बाबत कार्यवाही विचाराधीना का [illegible] मौजा लाडरी [illegible] आराजी [illegible] को केवल [illegible] यथास्थिति बनाये रखने हेतु [illegible] पाबन्द किया जाता, पत्रावली [illegible] अनुसार पेशी नम्बर [illegible] से कम पेशी तारीख पेश हो।

(उपखण्ड अधिकारी, [illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:26:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner